

### अनुबंध III

#### रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स

फार्म डीएडी 389

बैंक का नाम \_\_\_\_\_

-----को समाप्त पखवाड़े के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमा दर्शानेवाला विवरण

#### भाग ए

(लाख रु.में)

1. दूसरे पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति  
के अनुसार बकाया निर्यात ऋण\*

\_\_\_\_\_

2. निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमा (मद सं.1 का 50 प्रतिशत)

\_\_\_\_\_

\* पुनर्वित्त सीमाओं की गणना के प्रयोजन के लिए कुल बकाया निर्यात ऋण में से निम्नलिखित को घटाकर  
बकाया निर्यात ऋण प्राप्त किया जाए:

अन्य बैंकों/निर्यात-आयात बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पास भुनाये गये निर्यात बिल,

निर्यात ऋण, जिसके आधार पर नाबार्ड/निर्यात-आयात बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त किया गया है,

विदेशी मुद्रा में पोत-लदानपूर्व ऋण (पीसीएफसी),

'विदेश में निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई' की योजना के अंतर्गत भुनाए गये/पुनः भुनाये गये निर्यात बिल,

अतिदेय रुपया निर्यात ऋण

तथा अन्य निर्यात ऋण जो पुनर्वित्त हेतु पात्र नहीं है।

भाग - बी

@की स्थिति के अनुसार कुल बकाया निर्यात ऋण

(लाख रु. में)

- | 1. | कुल  | बकाया   | निर्यात | ऋण |       |
|----|--|---|---------|----|-------|
|    | <u>जिसमें से -</u>                                   |   |         |    |       |
|    | (i)  | अन्य बैंकों/निर्यात-आयात बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पास पुनर्भुनाये गये (रिडिस्काउंटेड) निर्यात बिल |         |    | _____ |
|    | (ii)   | निर्यात ऋण, जिसके आधार पर नाबार्ड/निर्यात-आयात बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त किया गया है             |         |    | _____ |
|    | (iii)  | विदेशी मुद्रा में पोत-लदानपूर्व ऋण (पीसीएफसी)   |         |    | _____ |
|    | (iv)   | 'विदेश में निर्यात-बिलों की पुनर्भुनाई' योजना के अंतर्गत भुनाये गये/पुनर्भुनाये गये निर्यात बिल   |         |    | _____ |
|    | (v)  | अतिदेय रुपया निर्यात ऋण   |         |    | _____ |
|    | (vi)   | उपर्युक्त ((i) से (v) तक) हिसाब में न लिया गया और निर्यात ऋण जो पुनर्वित्त हेतु पात्र नहीं है। *  |         |    | _____ |
| 2. | पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण मद 1 में से |   |         |    | _____ |
|    | <u>घटाएं</u>   | {(i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v) + (vi)}  |         |    |       |

-----  
@ दूसरे पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कुल बकाया निर्यात ऋण ।

\* उदा. 180 दिन से अधिक में परिपक्व होने वाले सभी रुपया निर्यात ऋणों के लिए, बकाया राशि को मद 1(vi) के सामने दर्शाया जाना चाहिए।

भाग - सी

@ की स्थिति के अनुसार बकाया निर्यात ऋण

(लाख रु. में)

1. पोत-लदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण \*\*

(i) 180 दिन तक \_\_\_\_\_

(ii) 180 दिन से अधिक \_\_\_\_\_

जोड़ (i+ii)

2. पोत-लदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण \*\* \_\_\_\_\_

(iii) 180 दिन तक \_\_\_\_\_

(iv) 180 दिन से अधिक \_\_\_\_\_

जोड़ (iii+iv)

3. कुल रुपया निर्यात ऋण (1+2) \_\_\_\_\_

---

\*\* अतिदेय राशियों को मिलाकर